भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 906
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा

906. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सरकार से देश में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने का अनुरोध किया है ;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;
(ग) क्या सरकार का अधिवक्ताओं को किसी वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत लाने का विचार है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा तथा जीवन बीमा स्कीम को विरचित करने की आवश्यकता को वर्ष 2019 में माननीय केंद्रीय विधि मंत्री को अध्यक्ष भारतीय विधि के परिषद के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप अधिवक्ताओं तथा उनके आश्रितों के लिए व्यापक चिकित्सा तथा जीवन बीमा स्कीम पर कार्य करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद/ राज्य विधिक परिषद के प्रतिनिधित्व और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर समिति गठित की गई थी। समिति ने भारतीय विधिज्ञ परिषद से आयु, कुटुंब के सदस्यों की संख्या आदि जैसे डाटा के साथ नामांकित किए गए और प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या के कतिपय विवरण की मांग किया है । इन ब्यौरों की प्राप्ति के पश्चात्, बीमा कंपनियां बीमा की स्कीम पेश करने की स्थिति में होंगी ।
(ग) और (घ) : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****